"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 19, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई नक्सवादी एवं पुलिस मुठभेड़ व आगजनी की घटना की न्यायिक जांच के लिए माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अध्यक्षता में विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2011, दिनांक 18-11-2011, दिनांक 10-05-2012, दिनांक 12-11-2012, दिनांक 29-01-2013, दिनांक 18-07-2013, 24-01-2014, 08-08-2014, 11-11-2014 तथा दिनांक 11-05-2015 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयवृद्धि की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 10-11-2015 को समाप्त हो गई है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 11-11-2015 से दिनांक 10-05-2016 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.